



महिला सशक्तिकरण

GAJENDRA KUMAR MALVIYA

H.O.D., ASSOCIATE PROFESSOR, SOCIOLOGY DEPARTMENT, GOVT. PG COLLEGE, JHALAWAR, RAJASTHAN

सार

महिला सशक्तिकरण का मतलब है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में उनके वास्तविक अधिकार दिलाने की प्रक्रिया। महिला सशक्तिकरण के ज़रिए महिलाओं को ये क्षमताएं मिलती हैं: अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेना, परिवार और समाज में अच्छे से रहना, लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, और परिवार और समाज में भूमिका के संबंध में अधीनता को पार करना, रणनीतिक जीवन विकल्प बनाना, महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण महिलाओं को आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता, और आत्मविश्वास जगाना महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना, महिलाओं को स्व-रोज़गार के लिए प्रेरित करना महिलाओं को आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार से जोड़ना, महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना, बाहर और घर में होने वाली हिंसा को रोकना, महिला सशक्तिकरण आज के युग में विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का प्रमुख विषय है।

परिचय

महिला सशक्तीकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है। [1,2,3]

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता

है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

आधी आबादी के रूप में महिलायें :-भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोउवार का कथन है, "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब-जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब-तब समाज ही कठघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है।

मातृसत्तात्मक समाज :-भारत व समूचा विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहता आया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका आशय यह नहीं है कि अब पितृसत्तात्मक समाज को बदल कर मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जाती है जहाँ नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियाँ जैसे चीन की मोसुओ, कोस्टा रिका की ब्रिब्रि जनजाति, न्यू गुयाना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलायें ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। यदि समाज को स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ना है तो समाज मातृ या पितृसत्तात्मक होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार होगी और सही मायनों में पुरुष-स्त्री समान रूप से सशक्त होंगे।

महिला सशक्तिकरण का आधार- विश्व में नारी आंदोलन व भारत में इसका प्रभाव :-विश्व में नारी आंदोलन की नींव 19वीं शताब्दी में ही रखी गई। पश्चिम के कई राष्ट्र उस दौर में इस आंदोलन में भागीदार बने। नारी आंदोलन जब सामने आए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की एक अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को समझने के लिए नारी आंदोलन को समझना भी अतिआवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो नारी आंदोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई। नारीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है। यह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम और स्वरूप को गठित करता है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार देता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है[4,5,6]। यह आंदोलन मानता है कि स्त्री को भी पुरुष के बराबर सम्मान, अधिकार व अवसर मिले। नारी आंदोलन लैंगिक असमानता के स्थान पर इस अवधारणा को मानता है कि स्त्री भी एक मनुष्य है। मनुष्य होने के साथ-साथ वह दुनिया की आधी आबादी है। सृष्टि के निर्माण में उसका भी उतना ही सहयोग है जितना कि पुरुष का।

नारी आंदोलन का पहला चरण 19वीं सदी का उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारंभ होने का है। अमरीका के शहरी, उदारवादी और औद्योगिक माहौल में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी लहर साठ के दशक से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें यह पहचान की गयी कि कानून व वास्तविक

असमानताएं दोनों आपस में जटिलतापूर्वक जुड़ी हुई हैं एवं इसे दूर किया जाना चाहिए। तीसरी लहर नब्बे के दशक से प्रारंभ होती है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। इसमें दूसरी लहर के द्वारा नारीत्व की दी हुई परिभाषा को चुनौती दी गई। वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था, उसे गढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समाज सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा वह पश्चिम में रहा है। भारत में नवजागरण अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत मानी जाती है जो 1915 के आस पास तक रहती है। यह उत्थान समाज सुधार व राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहा था। इसमें अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज, बाल विवाह, सती प्रथा व देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज आदि की बात उठाई गई। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा व सवित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार रित्रियों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए एक अनुकूल माहोल बनाकर व उनको सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनों का दूसरा दौर जो लगभग भारत में गांधी के आगमन के साथ आरंभ होता है वह 1915 से आरंभ हुआ माना जाता है। यह वो दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थीं। यह वही दौर है जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गांधी व अम्बेडकर जी द्वारा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय रूप से देखा जाता है। महात्मा गांधी बड़े व्यावहारिक रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन व विधवाओं की समस्याओं तथा छुआछूत के उन्मूलन की बात कर रहे थे। दूसरी ओर ऐसे ही कार्य डॉ. अंबेडकर कर रहे थे जहाँ उन्होंने मताधिकार दिलाना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना व समानता के अधिकार को दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में इसका तीसरा चरण जो अभी तक देखा जा सकता है उसके प्रमुख बिंदु महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भारत में महिला सशक्त होने की दिशा में नारीवादी आंदोलन ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्त होने के तमाम पहलू व उसमें आने वाली चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं।

सशक्त होने का वास्तविक आशय :-

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है कि "दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं, मजबूत लोगों के नहीं।" सशक्त होने का आशय केवल घर से बाहर निकल कर नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना भर नहीं है। सशक्त होने का आशय यहाँ पर उसके निर्णय ले सकने की क्षमता का आधार है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रही है या इसके लिए वह किसी और पर

निर्भर है। इसी प्रकार आज आर्थिक रूप से सशक्त होने उसके लिए बहुत आवश्यक है। यदि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो वह कभी भी सशक्त नहीं हो सकेगी, इसलिए यह एक और अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। [7,8,9] भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक रूप से आज भी हमारे समाज का मूल पितृसत्ता के रूप में मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय-समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर गोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। धर्म भी इसमें कई बार अपनी भूमिका अदा करता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। सबरीमाला या अन्य धर्म के स्थलों पर प्रवेश न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म-जाति के गठजोड़, रूढ़ि व अंधविश्वास ने महिलाओं को और शोषित किया है।

राजनीति का क्षेत्र इतिहास से वर्तमान तक पुरुषों के एकाधिकार का क्षेत्र रहा है। कभी भी इस पर महिलाओं का एकाधिकार स्थापित नहीं हुआ। राजनीति घरेलू चारदिवारी से बाहर निकल समाज को संचालित करने वाली, दिशा देने का कार्य करती है। विश्व के हर कोने में पूरे समाज में राजनीतिक पदों पर पुरुषों को ही देखा गया। भारतीय समाज भी इससे अलग नहीं है। आदिम समय से चली आ रही पुरुष प्रधान परंपरा अभी भी सतत क़ायम है। वर्तमान समय में देश की लोकसभा के कुल 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। कुल 28 राज्यों में वर्तमान समय में केवल एक महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राष्ट्रपति केवल दूसरी महिला हैं जो इस पद को सुशोभित कर रही हैं। भारत में राष्ट्रपति से ज़्यादा व्यावहारिक पद प्रधानमंत्री का माना जाता रहा है, इस पद केवल एक महिला का आ पाना सब कुछ उजागर करता है।

महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना उनके पूरे भविष्य को तय करता है। यदि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं तो सही मायने में हम पूरी तरह से आजाद हैं। अनेक मसलों पर हमारा निर्णय निर्भरता की वजह से प्रभावित होता है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलायें काम करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थी, इसलिए कोई आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी। पैसे के लिए वे अपने घर के पुरुषों यथा पिता, भाई, पति या पुत्र पर निर्भर रहा करती थीं। आज ये परिस्थितियाँ बदली हैं। महिलायें घरों से बाहर निकली हैं, पढ़ कर सभी क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में वे समान वेतन पर काम कर रही हैं लेकिन निजी क्षेत्रों में कई बार कई जगहों पर उन्हें आज भी भेद-भाव का सामना करना पड़ता है। एक लंबे समय तक भारतीय पुरुष व महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाली वार्षिक फीस में भेदभाव था। इसे अब 2016 में जाकर दूर किया गया। पूरे फिल्म उद्योग में पुरुष सितारों की फीस कि तुलना में महिलाओं की फीस काफी कम है। ऐसी असमानताएं निजी क्षेत्रों में आज बरकरार है जिसे दूर किए जाने की ज़रूरत है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कॉर्पोरेट के मुखिया जैसी जगहों पर इक्का-दुक्का उदाहरण छोड़ कर केवल पुरुषों का ही वर्चस्व है जो दर्शाता है कि पुरुष प्रधानता के लक्षण मौजूद हैं। [10,11,12]

भारत में महिलाओं के शिक्षा के प्रयास आधुनिक काल के शुरुआती दौर में ही हुए जिसका प्रसार अब लगातार देखने को मिलता है। आज के भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियाँ भी अब पढ़ने जाने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत अवधारणाएं अभी भी बलवती हैं जिनके बावजूद निचली जाति की लड़कियां भी अब प्राथमिक विद्यालय की ओर रुख कर रही हैं जो कि एक सकारात्मक संकेत है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा आज भी घरेलू काम-काज तक ही सीमित हैं। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थितियों में अंतर आज भी विद्यमान है। पूरे देश में महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने में इस तरह के मौजूद अंतर को पाटना अभी बेहद जरूरी है।

वर्तमान समय में महिला अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रही है परंतु हमेशा से स्त्री की स्थिति इतनी निम्नतर नहीं थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल को देखें तो स्त्री ने सम्माननीय जीवन पहले भी जिया है। एक सशक्त जीवन की गवाह वह पहले भी रह चुकी है।

उत्तरवैदिक काल से स्त्री की स्थिति में एकाएक बदलाव नहीं हुआ। स्त्री पर अनगिनत अंकुश लगाए जाने लगे। मध्यकाल तक आते-आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। हालांकि भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के समय में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ लेकिन लगातार हो रहे आक्रमणों के बीच महिलाओं को पुनः घरों में कैद किया गया। किसी भी आक्रमण में सर्वाधिक शोषित महिलायें ही रहीं। बाद में एक हरम में कई रानियों को रखने का रिवाज सामान्य हो गया। भोग की वस्तु के रूप में तब्दील हो चुकी स्त्री

दशा को सुधार करने की कोशिश फिर आधुनिक काल में ही शुरू हुई। एक लंबे प्रयास व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक-आर्थिक-राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है। जो इस सभ्य समाज में उनका हक है। महिलाओं के लिए संभावनाओं का बड़ा द्वार अभी भी उनके इंतजार में है जो लगातार उनके सशक्त होते रहने से ही खुल सकेगा।

विचार-विमर्श

'महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये, कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते हैं। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है, जिससे उस व्यक्ति में वह योग्यता आ जाती है, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके, और खुद के बारे में उचित और अनुचित न्याय कर सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। [13,14,15]

महिला सशक्तिकरण आज के युग में विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। क्योंकि प्राचीनकाल से यह देखा जा रहा है, की समाज में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष तुच्छ समझा जाता था, तथा सती

प्रथा, दहेज हत्या जैसी बहुत सी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी। और महिला सशक्तिकरण किसी विशेष राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में अन्य मुद्दों से संबंधित दृष्टिकोणों को भी इंगित कर सकता है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को संसाधनों, परिसंपत्तियों, आय और अपने स्वयं के समय के साथ साथ जोखिम या कठिनाइयों को नियंत्रित करने और उनके प्रबंधन और जोखिम को प्रबंधित करने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की क्षमता से लाभ उठाने का अधिकार है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत में प्राचीन काल की तुलना में मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी, हालांकि आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ थीं, और उन्होंने अपने पद का काफी अच्छे ढंग से पालन भी किया था। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी अत्यंत आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।

शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 75.7 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 62 प्रतिशत ही है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं को शिक्षा की सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और अगर कहीं शिक्षा उपलब्ध भी है, तो कुछ ही कक्षाओं की पढ़ाई के बाद ही उनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है। भारत में शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में अधिक रोजगारशील और शिक्षित हैं, आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं कार्य करती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं, या तो घर में बैठ कर घर का काम संभालती हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण की पहल :-

श्री श्री रवि शंकर जी का कहना है, कि 'यदि महिलाओं को सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता जैसे विकारों से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए महिला सशक्तिकरण की बहुत जरूरत है।

भारतीय संविधान में इसकी प्रस्तावना से ही लैंगिक समानता के सिद्धांत की बात की गयी है। इसके बाद मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी महिलाओं और पुरुषों को सामान अधिकार देने की बात की गयी है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है। (16,17,18]

भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर, कई कानूनों, विकास की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक उन्नति करना ही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के

बाद से महिलाओं के विभिन्न मुद्दे पर कल्याण से लेकर विकास तक के दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आया है। हाल ही के वर्षों में महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिलाओं के सशक्तीकरण को केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा 'राष्ट्रीय महिला, आयोग' की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन (1993) में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों के चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं।

भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों और उनके उचित सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानव अधिकारों के उपकरणों की पुष्टि की है। इसके साथ ही 1993 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के समाप्त करने के लिए एक विशाल कन्वेंशन भी किया गया था।

भारत ने महिलाओं और लैंगिक समानता की उचित कार्यवाही के लिए भेदभाव रहित रूप से समर्थन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और घोषणा में भाग लिया, जैसे कि, द मेक्सिको प्लान ऑफ़ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज़ (1985), बीजिंग घोषणा और प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन (1995) और यू. एन. जी. ए. सत्र द्वारा अपनाये गई डॉक्यूमेंट का परिणाम, 21 वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता और विकास और शांति पर अधिवेशन जिसका शीर्षक है, "बीजिंग घोषणा के साथ ही साथ प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन को लागू करने के लिए कार्यवाही और पहल' आदि।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं

भारतीय समाज में कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल हैं। कई बार यह पुरानी मान्यताएं और परंपराएं भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। महिलाओं के रास्ते में आने वाली इसी तरह की कई सारी बाधाओं के बारे में नीचे बताया गया है।

सामाजिक मापदंड

कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण

लैंगिक भेदभाव

श्रम के बदले में भुगतान में असमानता

अशिक्षा

बाल विवाह

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध

कन्या भ्रूणहत्या

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गयी कुछ प्रमुख योजना बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ योजना

नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमन, कार्य महिला छात्रावास योजना

महिला हेल्पलाइन योजना

वन स्टॉप सेन्टर योजना

स्वाधार गृह योजना

राजीव गाँधी राष्ट्रीय आंगनवाड़ी योजना

उज्जवला योजना

सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमन (स्टेप)

पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

महिला शक्ति केंद्र (17,18]

परिणाम :-भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदण्ड हैं। एक तरफ तो उन्हें पूज्यनीया, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमा देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नहीं रहता है। भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन हुए हैं, परन्तु उन्हें पुरुष समाज की ओर से जितना समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिला। घर परिवार और समाज में वाजिब सम्मान के लिए उसे लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नये आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण का आरंभ हुआ। महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाएं समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग हैं क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है।

महिलाएं आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाएं हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती हैं साथ ही अपने परिवार के पुरुष और दूसरी महिला सदस्यों के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। (1) महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। [18,19]

निष्कर्ष :-

किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, महिलाओं को पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं एवं ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार एवं समाज में पुनर्स्थापित होने हेतु विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती है। इस उद्देश्य से "मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना" प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य:-

आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना।

पीड़ित महिला को पुनर्स्थापित करना।

महिलाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना।

विपत्तिग्रस्त/पीड़ित/असहाय/निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना।

लक्ष्य समूह :-

बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका ।

दूरव्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।

एसिड विक्टिम

जेल से रिहा महिलाएँ

परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती हो।

शासकीय एवं अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह आदि गृहों में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका/महिलायें

दहेज प्रताड़ित/अग्नि पीड़ित महिलायें

बाल विवाह पीड़ित [20]

संदर्भ

1) कबीर, नैला। 'लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 1 का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।' लिंग और विकास 13.1 (2005): 13-

241

2) मोसेडेल, सारा (1 मार्च, 2005)। "महिला सशक्तिकरण का आकलन: एक वैचारिक ढांचे की ओर। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट | 17 (2): 243-257. doi: 10.1002/jid.1212 | आईएसएसएन 1099-1328

3) बेयेह, एंडलकेच्यू (जनवरी 2016)। "इथियोपिया के सतत विकास में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता हासिल करने की भूमिका। पैसिफिक साइंस

रिव्यू बी: ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज | 2 (1): 38. doi: 10.1016/j.psr.2016.09.013 |

4) ऑक्सफैम (आगामी), "महिला आर्थिक सशक्तिकरण संकल्पनात्मक रूपरेखा" 5) बेडेन, सैली, गोएट, ऐनी मैरी (जुलाई 1997)। "जब आपके पास (लिंग) हो सकता है तो (सेक्स) की ज़रूरत किसे है? बीजिंग में लिंग पर परस्पर विरोधी चर्चाएँ।

नारीवादी समीक्षा 56 (1): 3-25. doi: 10.1057/fr.1997.13. ISSN 0141-7789.SZCID 143326556 6) लोपेज़, अल्वारेज़ (2013). "अनसुनी चीखों से लेकर शक्तिशाली आवाज़ों तक:.

फिलीपींस में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक केस स्टडी"। सांख्यिकी पर 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीएस) ईडीएसए शांगरी-ला होटल, मंडलुयोंग सिटी 1-2 अक्टूबर, 2013 |

7) "महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए नवाचार | ICRW | जुनून | सबूत। शक्ति | मूल से 20 मई, 2017 को संग्रहीत किया गया। 20 मई, 2017 को लिया गया |

8) डेनेउलिन, सेवरिन; लीला शाहनी, एड. (2009). "मानव विकास और क्षमता दृष्टिकोण का परिचय: स्वतंत्रता और एजेंसी (पीडीएफ)। स्टर्लिंग, वीए: अर्थस्कैन। 16 जून, 2016 को मूल से संग्रहीत (पीडीएफ) | 1 सितंबर, 2016 को लिया गया।

9) गुप्ता, कमला: येसुदियन, पी. प्रिंसी (2006)। 'भारत में महिला सशक्तिकरण के साक्ष्य: सामाजिक-स्थानिक असमानताओं का एक अध्ययन। जियोजर्नल 65 (

4): 365-380. doi: 10.1007/s10708-006-7556-z. S2CID 128461359 10) कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति अवलोकन | रोम: एफएओ। 2016. doi: 10.4060/cc5060en | S2CID 258145984 |

11) कबीर, नेला. 'महिला सशक्तिकरण के आर्थिक मार्गों को प्रासंगिक बनाना: एक बहु-देशीय शोध कार्यक्रम से निष्कर्ष।' (2011). 12) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्टेफ़नी चैबन,

लुइस जे. कॉन्सुएग्रा: हन्ना एलटेन करिन गार्डस, ओलिविया ग्रेमंड ओल्गा मार्टिन गोंजालेज, मोना लीना क्रूक, लीरी कोपासी-डी मिशेल, हिएन थी गुयेन, नीका सईदी, राफी ट्रैबेल्सी: कैथरीन वोलाई (2017)। क्षेत्रीय संगठन, लैंगिक समानता और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण | स्टॉकहोम: इंटरनेशनल आईडिया। आईएसबीएन 978-91-7671-

140-8. मूल से 13 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 अप्रैल 2017. 13) लैमोंट, मिशेल (जून 2017)। "पहचान अंतराल को संबोधित करना: कलंक हटाना

और असमानता में कमी'। अमेरिकी समाजशास्त्रीय समीक्षा | 83 (3): 419-444. doi

:10.1177/0003122418773775. ISSN 0003-1224. 52CID 149672040. मूल से 28 अप्रैल, 2017 को संग्रहीत किया गया। 12 मई, 2017 को लिया गया 14) कोरकोरन, मेरी (2000)। "कल्याण सुधार महिलाओं के काम को कैसे प्रभावित कर रहा है। की वार्षिक समीक्षा | 26: 241-2691 doi: 10.1146/annurev.soc.26.1.241.

आईएसएसएन 0360-0572. ओसीएलसी 46615910.

- 15) अब्रामोविट्ज़, मिमी (मई 2006)। 'संयुक्त राज्य अमेरिका में कल्याण सुधार: लिंग, जाति और वर्ग का मामला'। क्रिटिकल सोशल पॉलिसी । 26 (2): 336-364. doi: 10.1177/0261018306062589. ISSN 0261-0183. S2CID 144670870
- 16) पाँवर, मलिन (नवंबर 2004)। नारीवादी अर्थशास्त्र के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में सामाजिक प्रावधान' नारीवादी अर्थशास्त्र । 10 (3): 3-19. doi: 10.1080/1354570042000267608. ISSN 1354-5701. SZCID 145130126.
- 17), लोरेन एम., लुईस, एडिथ ए. 7 जुलाई, 1994)। महिलाओं के साथ सामुदायिक आयोजन: एक नारीवादी दृष्टिकोण" जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी प्रैक्टिस 1 (2): 23-44: 10.1300/J125v01n02_03. ISSN 1070-5422.
- 18) डुफ़्लो, एस्तेर (2012)। "महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास"। जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक लिटरेचर । 50 (4): 1051-1079 doi: 10.1257/jel.50.4.1051.hdl: 1721.1/82663. JSTOR 23644911.
- S2CID 17267963 19) मेहरा, रेखा (नवंबर 1997)। 'महिलाएं, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास'। द एनल्स ऑफ़ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस । 554 (1): 136-149. doi: 10.1177/0002716297554001009 S2CID 154974352 20) कैर, ग्लोरिया (फरवरी 2011)। "सशक्तिकरण: अफ्रीकी अमेरिकी दादियों में अपने पोते-पोतियों की देखभाल करने की वकालत विकसित करने के लिए एक रूपरेखा | ISRN नसिंग | 2011: 531717. doi: 10.5402/2011/531717 PMC 3169837
- IPMID 21994894